(b) the time by when theHighways mentioned with asphalt Of coaltar; and

(c) the names of the National Highways in Madhya Pradesh on which toll tax is collected at the bridges?]

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३६, अनुपत्र संख्या २६ ।]

(ख) काम जारी है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १२ (बिश्रांरा-भोपाल-जबलपुर सड़क) जिसे हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है, को छोड़ कर शेष काम तीसरी पंचवर्षीय आयोजना काल में पूरा हो जायगा । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १२ पर डामर बिछाने का काम तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में शुरू होने तथा चौथी पंचवर्षीय आयोजना काल में पूरा होने की आशा है ।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ३—आगरा-बम्बई सड़क पर खालघाट पुल पर; राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७—बनारस-केप कमोरिन सड़क पर तिलवाड़ाघाट पुल पर, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २६—झांसी-लखनादोन सड़क पर बेरुरेवा पुल पर टॉल टैक्स लिया जाता है ।

t[THE MINISTER OF SHIPPING- IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI RAJ BAHADUR): (a) A statement is attached. (See Appendix X>XXIX, Annexure No. 29.]

(b) The work is in progress and will be completed during the Third Plan period, except on the newly classified National Highway No. 12 (Biaora-Bhopal-Jabalpur Road). In the case of National Highway No. 12 blacktopp-ing is expected to be started in the Third Plan and completed in the Fourth Plan period.

(c) National Highway No. 3 (Agra-Bombay Road) at Khalghat Bridge, National Highway No. *1* (Banares-Cape Camorin Road) at Tilwaraghat Bridge and National Highway No. 26 (Jhansi-Lakhnadon Road) at Barurewa Bridge.]

सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मंत्रणा समिति तथा परिवहन विकास परिषद्

२३६. **श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६१ में सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मंत्रणा समिति की तथा जुलाई और अक्तूबर, १९६१ में परिवहन विकास परिषद् की जो बैठकें नई दिल्ली में हुई थीं उन में दिये गये कौन कौन से सुझाव—

(१) स्वीकृत किये गये हैं;

(२) विचाराधीन हैं; और

(३) अस्वीकृत किये गये है ?

ft ROAD AND INLAND WATER TRANSPORT ADVISORY COMMITTEE AND THE TRANSPORT DEVELOPMENT COUNCIL

236. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of TRANSPORT AND COMMUNICATIONS be pleased to state which of the suggestions made at the meetings of the Road and Inland Water Transport Advisory Committee held in October, 1961 and of the Transport Development Council, held at New Delhi, in the months of July ' and October, 1961—

(i) have been accepted;

(ii) are under consideration; and

(iii) have been rejected?]

t [ ] English translation.

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : केन्द्रीय सरकार ने सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति और परिवहन विकास परिषद् द्वारा की गयी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार नहीं किया है। यह सिफारिशें अधिकतर प्रदेश सरकारों से सम्बन्धित हैं, इसलिए उन को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर प्रदेश सरकारों से बातचीत की जा रही है।

|[THE MINISTER OF SHIPPING IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI RAJ BAHADUR): No recommendation made by the Road and Inland Water Transport Advisory Committee and the Transport Development Council has been rejected by the Central Government. Since the recommendations mostly concern State Governments, the question of their implementation has been taken up with them.]

डी० एम० ई० टी० योजना में प्रवेश

२३७. **श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० एम० ई० टी० योजना में प्रवेश के लिये वाणिज्यिक नौसेना प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर क्या नये नियम बनाये गये हैं और क्या नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है; और

(ख) जनसाधारण को उन की जानकारी कराने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

t [ADMISSION TO D.M.E.T. SCHEME

237. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of TRANSPORT AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the new rules which have been framed and the new course which haa been prescribed on the recommendations made by the Merchant Navy Training Board for admission to the D.M.E.T. Scheme; and

(b) what efforts have been made to make them known to the general public?]

f[ ] English translation.

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):(क) सरकार द्वारा मरचेंट नेवी ट्रेनिंग बोर्ड की सिफारिश मान लेने के फलस्वरूप डी० एम० ई० टी० योजना के अधीन प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार चालू वर्ष से लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू के आधार पर लिये जाते हैं। लिखित परीक्षा, प्रवेश सम्बन्धी नियम आदि का विवरण संलग्न है।

(ख) लिखित परीक्षा की योजना को लागू करने के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में काफी प्रचार किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत के बड़े बड़े शहरों में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में दो बार विज्ञापन दिये गये। डी० एम० ई० टी० योजना के संक्षिप्त विवरण की प्रतियां जन-साधारण द्वारा मंगाने पर निःशुल्क दी जाती हैं।

विवरण

समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय योजना के अन्तर्गत दाखिले के लिए ली जाने वाली प्रवेश-परीक्षा का विवरण

दाखिल के लिए पात्रता.—उम्मीदवारों को जन्म या अधिवास से भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल, सिक्किम और फ्रांसीसी भारतीय बस्तियों के निवासी भी दाखिला ले सकते हैं, परन्तु इस के लिए उन्हें प्रमाण-स्वरूप भारत सरकार का प्रमाण-पत्र पेश करना आवश्यक है।

आयु सीमा.—दाखिला लेने के साल की पहली मार्च को १६ से १६ वर्ष।